



मंत्रिमण्डल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टीआईआर कार्नेट्स (टीआईआर कॉन्वेंशन) के तहत कस्टम्स कॉन्वेंशन ऑन इंटरनैशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में भारत के प्रवेश को मंजूरी दी

Posted On: 06 MAR 2017 9:55PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टीआईआर कार्नेट्स (टीआईआर कॉन्वेंशन) के तहत कस्टम्स कॉन्वेंशन ऑन इंटरनैशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में भारत के प्रवेश और इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अपनी मंजूरी दी है।

यह कॉन्वेंशन भारतीय व्यापारियों को अन्य ठेका पक्षों के क्षेत्रों में सड़क या बहुआयामी साधनों द्वारा वस्तुओं की आवाजाही के लिए तेज, आसान, भरोसेमंद और बिना परेशानी के अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तक पहुंचने में मदद करेगा।

कॉन्वेंशन में शामिल होने से सीमा शुल्क नियंत्रण की आपसी मान्यताओं के कारण मध्यवर्ती सीमाओं पर वस्तुओं के निरीक्षण के साथ-साथ रास्ते में जांच की आवश्यकता नहीं होगी। इसके तहत सीमा शुल्क की मंजूरी किसी आंतरिक जगह पर दी जा सकती है जिससे सीमाओं या बंदरगाहों पर भीड़भाड़ से बचा जा सकता है। टीआईआर के तहत आवाजाही के लिए लोड कंपार्टमेंटों अथवा कंटेनरों की केवल सील और बाहरी स्थिति की जांच की जा सकती है जिससे सीमा पर होने वाली देरी से बचा जा सकेगा और परिवहन एवं लेनदेन लागत में भी कमी आएगी। इससे व्यापार एवं परिवहन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास को बल मिलेगा।

कॉन्वेंशन के साथ अनुपालन से आपूर्ति श्रृंखला में बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी क्योंकि कॉन्वेंशन की शर्तों के अनुसार केवल मान्यताप्राप्त ट्रांसपोर्टर्स और वाहनों को ही परिचालन की अनुमति होगी। चूंकि टीआईआर कार्नेट सीमापार आवाजाही के लिए सीमा शुल्क, कर एवं यातायात की गारंटी देता है, इसलिए रास्ते में ऐसे किसी कर या शुल्क के भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीआईआर कार्नेट सीमा शुल्क के लिए एक घोषणा पत्र के रूप में भी काम करता है और इसलिए सीमा पार आवाजाही के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्रीय कानूनों के पालन के लिए अलग-अलग घोषणा पत्र जमा कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। इंटरनैशनल 'नॉर्थ-साउथ' ट्रांसपोर्ट (आईएनएसटीसी) कॉरिडोर के जरिये वस्तुओं की आवाजाही के लिए टीआईआर कॉन्वेंशन एक ऐसा उपकरण हो सकता है जो मध्य एशियाई गणराज्यों एवं राष्ट्रमंडल के अन्य देशों (सीआईएस) के साथ व्यापार को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकता है खासकर ईरान में चाबहार जैसे बंदरगाह के उपयोग के जरिये।

यह प्रस्ताव भारत सरकार के लिए किसी भी प्रत्यक्ष वित्तीय निहितार्थ का परिणाम नहीं है क्योंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के प्रवेश से संबंधित है।

पृष्ठभूमि:

टीआईआर कार्नेट्स, 1975 (टीआईआर कॉन्वेंशन) के तहत कस्टम्स कॉन्वेंशन ऑन इंटरनैशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (यूएनईसीई) के तत्वावधान में एक अंतरराष्ट्रीय पारगमन प्रणाली है जो कॉन्वेंशन के सभी सदस्यों के बीच वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करती है। वर्तमान में यूरोपीय संघ सहित इस कॉन्वेंशन के 70 सदस्य हैं।

AKT/VBA/SH/SKC

(Release ID: 1483981) Visitor Counter : 15

